न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, कैम्प बेंगू

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मल्हौत्रा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2024(रा.अ.) (GCMS 2024/2)	23.02.2024	24.04.2026

अनवान

मूलचन्द पिता किशोर लुहार निवासी कैरपुरा उप–तहसील पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार, पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– सीपी शर्मा — अपीलार्थी
पैरोकार सरकार — प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उप–तहसीलदार पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान द्वारा प्रकरण संख्या 328/2023 बअनवान पटवारी हल्का कैरपुरा बनाम मूलचंद निर्णय दिनांक 06.11.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के उप–तहसीलदार बस्सी तहसील बेंगू के प्रकरण संख्या 328/2023 अनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का कैरपुरा बनाम मूलचन्द अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 06.11.2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से पैरोकार सरकार हाजिर आये। पैरोकार सरकार की और से जवाब अपील दिनांक 27.03.2026 को पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपीलार्थी की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 06.06.2025 को पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से प्रार्थना–पत्र 151 जा0दी0

पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली को वास्ते बहस अपील हेतु रखा गया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी संख्या 340/334 दिनांक 0.64 हैक्टेयर पर सम्वत् 2080 में अतिक्रमण बताकर कार्यवाही कर बेदखल किये जोने के आदेश पारित किये है, उक्त आदेश की कार्यवाही गलत व बिना आधारों के होने से निरस्त होने योग्य है, अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा रहा है, उक्त भूमि पर आवंटन से ही लगातार चारों तरफ पत्थ्यर की कोट बना रखी है, अपीलार्थी की भूमि के आस–पास बिलानाम भूमि है, जो अपीलार्थी के नियंत्रण व स्वामित्व में है, इसलिए उक्त भूमि से प्रार्थी को बिना सुने ही बदेखल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

इसके जवाब में पैरोकार सरकार ने जवाब अपील मेंवर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश विधि सम्मत तथ्यों के आधार पर जारी किये गये है। बेदखली के आदेश सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु जारी किये गये है। अपीलार्थी को बेदखल किये जाने जाने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है, अतः उप–तहसीलदार, पारसोली के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने के दौरान हटाये गये लगभग 80 ट्रॉली पत्थरों को अपने पास कब्जे में ले लिया है, जो भी विधि विरूद्ध है, तथा उप–तहसीलदार परसोली द्वारा 80 ट्रॉली पत्थ्यरों को निलाम करने के आदेश पारित किये जो भी विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के 80 ट्रॉली पत्थ्यरों को निलाम करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, उक्त पत्थर अपीलार्थी को दिलाया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर निलाम किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दिनांक 03.10.2023 को संस्थित किया तथा दिनांक 06.11.2023 को निस्तारण कर दिया जो एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह निर्णय कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। अपीलार्थी गरीब ग्रामीण व अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको सुनवाई का युक्ति–युक्त एवं उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध निर्णय को पारित कर अपीलार्थी को मानसिक व आर्थिक रूप से क्षति पहुॅचाना

चाहता है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के परे जाकर आदेश पारित किये है।

अपीलार्थी को भारी नुकसान होगा। प्रकरण में अपीलार्थी को जवाब व बचाव के लिए अवसर नहीं दिया गया है, साथ ही पटवारी के बयान भी नहीं हुए एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण भी प्रमाणित नहीं हुआ है तथा अपीलार्थी को कार्यवाही से बचने के लिए न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न तो साक्ष्य न ही सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। भूमि के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली के द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की रोशनी में उक्त प्रकरण का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2023 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:
Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त–मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया।

आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार उप–तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप–तहसीलदार पारसोली ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित किया गया। जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उप–तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे उप–तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन अपीलार्थी को नोटिस कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी के उपस्थित होने पर अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाकर पूर्व से मुद्रित प्रारूप में खाली स्थानों की पूर्ति करते हुये निर्णय पारित किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से निर्णय के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना कब्जा होना तथा आवंटन होना का तथ्य अवगत कराया गया है। किन्तु हस्तगत प्रकरण आवंटन/नियमन के संबंध में किसी भी प्रकार से अभिवचन/विश्लेषण किया जाना हस्तगत प्रकरण की परिधि से भिन्न विषय है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण हस्तगत प्रथम अपील में किया जाना समीचीन नहीं होना। हस्तगत प्रकरण का निर्णय का आधार बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2023 ही है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके। इस संबंध में अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अध्यधीन अतिचारी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, जबकि हस्तगत प्रकरण में उपरांकित विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली अतिचारी को समुचित सुनवाई अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 06.11.2023 में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार पारसोली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप–तहसीलदार पारसोली को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने बाबत् प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार जाकर अधीनस्थ उप–तहसीलदार पारसोली के प्रकरण संख्या 328/2023 निर्णय व आदेश दिनांक 06.11.2023 अनवानी सरकार बनाम मूलचन्द को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उप–तहसीलदार पारसोली को प्रतिप्रेषित **(Remand)** कर निर्देशित किया जाता है उपरांकित विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थी के जवाब एवं दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर पदान करते हुये अज–सर्रे नव निर्णय पारित किया जावें। निर्णय की प्रति उप–तहसीलदार पारसोली को सूचनार्थ भिवजाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.04.2026** को कैम्प कोर्ट बेंगू में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार मल्हौत्रा)
अतिरिक्त कलक्टर,
रावतभाटा